International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 03(II), July - September, 2023, pp. 118-121

प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था

डॉ. अमित मेहता*

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में गुप्तचरों का विशेष महत्त्व था। वे अपने राज्य व शत्रु राज्य का समाचार एकत्रित करते थें। प्राचीन युद्धो में गुप्तचर–व्यवस्था सैनिक संगठनों का एक विशिष्ट अंग होती थी। गुप्तचरों से एकत्रित सुचनाओं के आधार पर ही राज्य की नीति तथा सेना की गतिविधियां निर्धारित होती थी। प्राचीन भारत में गुढ़ प्रतिनिधि, गुप्तचर, चर या चार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी इस विभाग की व्यवस्था के प्रमाण उपलब्ध है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि देवगण लोक के विषय की सुचना प्राप्त करने के लिए 'चर' रखते थे।(1) सम्पूर्ण लोक में भ्रमण कर प्राणियों के शुभ–अशुभ कार्यो का ब्यौरा 'चर' रखते थे। जिसके आधार पर 'चर' अपने स्वामी को सूचना उपलब्ध कराते थे। वेदों में 'चर' को 'स्पश' कहा जाता था। ऋग्वेद के एक प्रसंग में वरूण देव अपने 'स्पशो' से घिरे हुए बैठे है।(2) इसी वेद के अन्य प्रसंग में इन्द्र अपने 'स्पशो' के मध्य बैठे हुए बताये गये है।(3) अर्थववेद के एक प्रसंग में वरूणदेव के स्पश अपनी सहस्त्रों नेत्रों से प्राणियों के शुभ–अशुभ कार्यो का अवलोकन करते हुए पृथ्वी पर में भ्रमण करते रहते है।(4) वेदों के प्रसंगो से स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी 'स्पश' होते थे। अर्थववेद में गुप्तचरों को राजा के नेत्र कहा जाता था।(5)

महाभारत व रामायण में गुप्तचरों नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। महाभारत में चर विभाग का उल्लेख मिलता है जिसके द्वारा प्रजा, शत्रु, मित्र तथा उदासीन की गतिविधियो के बारे में सूचना एकत्र की जाती थी।(6) शान्तिपर्व में चर को 'विविदोपथ' कहा गया है जिसका सामान्य अर्थ छद्मवेश धारण करना होता है।(7) महाभारत में कहा गया है कि राजा अपने चर रूपी नेत्रों के द्वारा अपने शत्रु, मित्र तथा निरपेक्षी की गतिविधि और अभिप्रायों के बारे में जानकारी रखता है।(8) रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि गुप्तचरों को चर, चार, प्रणिधि, चारक अथवा चारण कहा जाता था। अयोध्या और लंका में अपना एक गुप्तचर विभाग था। राजा दशरथ के मंत्रीगण चरों द्वारा अपने शत्रुओं की गतिविधियों की जानकारी रखते थे। राजा अपने या शत्रु पक्ष राजाओं के बारे में गुप्तचरों द्वारा अवगत रखते थे जैसे– राजा क्या करना चाहते है, क्या कर चुके है और क्या कर रहे है आदि।(9) चित्रकूट में राम ने भरत से पूछा था कि क्या तुम गुप्तचरों द्वारा शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थो की देखभाल या जाँच पड़ताल करते रहते हो।(10) रावण ने गुप्तचर शुक को राम व सुग्रीव में फुट डालने का कार्य सौंपा था। उसने गुप्तचर शुक, सारण और शार्दूल को राम की सेना के बारे में जानने के लिए भेजा था।(11)

मनु ने अपने चरों द्वारा राजा को सदैव अपनी व शत्रु की शक्ति का ज्ञान रखने का निर्देश दिया है।(12) मनुस्मृति के अनुसार राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन संध्योपासना के समय एकान्त में गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त करे।(13) पतंजलि के अनुसार प्रजा, नगर व राज्य की सुचना लाने के लिए राजा कर्णेजप या सूचक नामक गुप्तचरों की नियुक्ति करते थे। अर्थशास्त्र के रचेयता कौटिल्य ने राजा द्वारा कुशल राज्य और युद्ध संचालन के

* सहायक आचार्य, इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान।

लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना पर विशेष बल दिया है। आचार्य कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रमुख कार्य शत्रु शक्ति का पता लगाना, प्रजा के विरूद्ध होने वाले ाडयंत्रों की सूचना, राज्य में कर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाना व विरोधियों की सूचना राजा तक पहुँचाना आदि माने है। उन्होने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुप्तचरों को भेष बदल कर शत्रु किले में घुसने, उनके संचित भण्डारों को नष्ट करने, झुठ बोलने, रिश्वत, विष देने, छुरा मारने या स्त्री संसर्ग आदि कूटनीतिक तरीके अपनाने की राय दी है।[14] कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के इन निर्देशों की पालना इतिहास के अनेक राजाओं ने की है।

मैगस्थनीज ने निरीक्षकों या इंसपेक्टरों का उल्लेख किया है जो राज्य की सभी घटनाओं की सूचना रखने व राजा को उनसे अवगत कराने का कार्य करते थे। ये इस कार्य के लिए वैश्याओं की सहायता भी लेते थे।[15] कुछ प्राचीन विद्वानों ने ओवरसीयर नामक गुप्तचरों का उल्लेख किया है जिनका कार्य मजिस्ट्रेटों को पूरे राज्य की सूचनाएं देना था।[16] इतिहासकार स्ट्रेबों के अनुसार वे जो पुरे साम्राज्य की गतिविधियो पर नजर रखने व राजा तक पूरी जानकारा पहुँचाने का कार्य करते थे उन्हे एफोरी, चीवतपद्ध या इंसपेक्टर कहा जाता था। इन पदों पर विश्वस्त व कार्यकुशल लोगो को ही नियुक्त किया जाता था।[17] जूनागढ शिलालेख के राष्ट्रीय तथा अर्थशास्त्र के 'प्रदेष्ट या गुढ़ पुरूष' स्ट्रेबों के 'इंसपेक्टर' तथा 'ओवरसीयर' के पर्याय ही है।[18] जैन ग्रंथों के अनुसार गुप्तचर शत्रु–सेना में भर्ती होकर गुप्त बातों का पता लगाते थे।

संगमकालीन दक्षिण भारतीय ग्रन्थों में गुप्तचरों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस काल में राजा की पाँच संस्थाओं वाली सलाहकार समिति में से एक गुप्तचर संस्था होती थी।[19] कुरल में उल्लेख मिलता है कि गुप्तचर राजा की ऑख का कार्य करते थे।[20] इस काल में गुप्तचरों को 'ओट्रर' तथा गुप्तचर्या को 'ओट्र' कहा जाता था।[21] गुप्तचर्या संगम शासन व्यवस्था में स्थायी संस्था थी। इसकी युद्ध के समय विशेष भूमिका होती थी। नच्चिनार्क्किनियर के अनुसार गुप्तचर द्वारा शत्रु की सूचना लेकर आने पर राजा उन्हे गुप्त रूप से पुरस्कृत करता था।[22] इससे स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में गुप्तचर व्यवस्था शासन का एक महत्त्वपूर्ण अंग थी।

अग्निपुराण में उल्लेखित है कि राजा को ऐसे गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए जो प्रगल्भ, स्मृतिशील, वाक्चतुर, कर्मठ तथा शस्त्र–शास्त्र में निपूर्ण हो।[23] मत्स्यपुराण में उल्लेखित है कि राज्य और परराज्य का ज्ञान रखने के लिए चातुर्य, रहस्य, गोपनीयता, कष्ट, सहिष्णुता, दूसरों से अपने को छिपाने की कला, सज्जन, व्यापारी, मंत्री, ज्योतिषी, वैद्य और संयासी का वेश बदलने में माहिर व्यक्ति को गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए।[24] आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो चर राजभक्त, विश्वसनीय, देश व काल के अनुसार वेश बदलने में कुशल तथा बहुत सी भाषाओं व कलाओं के ज्ञाता होते थे, उन्हें राजा देश–विदेश की गतिविधियों का पता लगाने के लिए नियुक्त करता था।[25] स्ट्रेबों के अनुसार अत्यन्त विश्वस्त एवं कार्यकुशल व्यक्ति को ही गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए।[26] कामंदकनीतिसार के अनुसार चर को लोगों के मन की बात जानने वाला, शक्तिशाली स्मृति युक्त, प्रत्युत्पन्नमति युक्त, मधुरभाषी, विपत्तियों में सहनशील तथा कठिन परिश्रमी होना चाहिए।[27]

अपने कार्यो के कुशल सम्पादन के लिए गुप्तचरों द्वारा अनेक प्रकार के रूप धारण किये जाते थे।[28] जैसे– रसोईया, नहलाने वाला, बिस्तर लगाने वाला, जल भरने वाला, हाथ–पैर दबाने वाला, श्रृगांर करने वाला और नाई आदि। इसी प्रकार कूबडे, बौने, गूँगे, बहरे, मूर्ख, अन्धे, नट, नाचने, गाने, बजाने वाले, कहानी कहने वाले, खेल दिखाने वाले आदि का वेश गुप्तचर पारिस्थिति के अनुसार धारण करते थे।

कौटिल्य ने गुप्तचरों की व्यापक चर्चा करते हुए उनको मुख्य दो श्रेणियों में विभक्त किया था[29]–

- **संस्था (स्थायी) गुप्तचर –** एक ही स्थान (कार्यालय) में रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर संस्था श्रेणी के आते थे। आचार्य कौटिल्य ने इन्हें पॉच भागों में विभक्त किया था।– 1.कापटिक, 2.उदास्थित, 3. गृहपतिक, 4.वैदेहक, 5.तापस।

- **संचार (भ्रमणशील) गुप्तचर –** उच्च कर्मचारियों की शुद्धता जाँचने वाले तथा देश–विदेश में जा–जाकर सुचनाएं एकत्रित करने वाले गुप्तचर संचार श्रेणी के आते थे। ये निम्न प्रकार के होते है– 1.सत्र, 2. तीक्ष्ण, 3.रसद, 4.परिव्राजिका ।

जैन ग्रंथों में गुप्तचरों द्वारा विभिन्न रूप धारण करने का उल्लेख मिलता है। तथा कुछ स्थानों पर जैन मुनियों को गुप्तचर समझकर गिरफ्तार करने का भी उल्लेख मिलता है।(30) संगमकालीन दक्षिण भारतीय ग्रन्थों में इन्हें ब्राह्मण, सन्यासी और तीर्थयात्री आदि वेश धारण करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे वेश में वे उन स्थानों पर जा सकते थे जहॉ सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकते थे।(31) याज्ञवल्क्य स्मृति में परिव्राजिका तथा तापस का वेष धारण करने वाले गुप्तचर का उल्लेख मिलता है। कामंदकनीतिसार में बालक, अध्यापक, किसान, वनचारी, भिक्षुक, चारण, जड़, मूक, अंधे, बहरे, बौने व कुबडे आदि वेश धारण करने वाले गुप्तचर का उल्लेख मिलता है।(32) अग्निपुराण में भी उल्लेख मिलता है कि गुप्तचर ज्योतिषी, सन्यासी, चिकित्सक, बनिया, तंत्र–मंत्र करने वाले के वेश में रहकर कार्य करते थे।(33)

निष्कर्षतयः यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में गुप्तचर को देश–विदेश में जा–जाकर सुचनाएं एकत्रित करने, शत्रु, मित्र तथा निरपेक्षी की गतिविधियों पर दृष्टि रखने, शत्रु सैन्य–शक्ति का पता लगाने, युद्ध के समय शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने, शत्रुओं को अपनी ओर मिलाने व उनसे गुप्त भेद प्राप्त करने जैसे कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता था। उस समय कुशल प्रशासन एवं सशक्त विदेश नीति बनाये रखने के लिए गुप्तचर–व्यवस्था का सुदृढ व कुशल होना आवश्यक था। इसलिए राजा विश्वसनीय व कार्य कुशल व्यक्ति को ही गुप्तचर नियुक्त करते थे। गुप्तचर–व्यवस्था जितनी सुदृढ होती थी, राज्य उतना ही शक्तिशाली होता था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद, 8/10/10
2. ऋग्वेद 13/15/1
3. ऋग्वेद 3/87/17
4. अर्थववेद 8/33/1
5. अर्थववेद 4/16/4
6. महाभारत, शान्तिपर्व, 63
7. महाभारत, शान्तिपर्व, 36
8. महाभारत, आदिपर्व, 147/75/77
9. वाल्मिकी रामायण, बालकाण्ड, 7/9
10. प्रो. लल्लनजी सिंह, भारतीय सैन्य इतिहास, पृ. 172
11. रामायण, युद्धकाण्ड, 29/17
12. मनुस्मृति 9/294
13. मनुस्मृति 7/223–224
14. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 1/10
15. प्रो. लल्लनजी सिंह, कौटिल्य का युद्धदर्शन, पृ 146,
16. प्रो. लल्लनजी सिंह, कौटिल्य का युद्धदर्शन, पृ. 140
17. आर सी मजूमदार, क्लासिकल एकांउन्ट ऑफ इंड़िया, पृ. 266
18. हेमचन्द्र राय चौधरी, प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, पृ. 254

19. मदुरैक्कांजी, 510, तुल. एन सुब्रह्मण्यन, संगम पालिटी, पृ. 101
20. कुरल, 581
21. एन सुब्रह्मण्यन, संगम पालिटी, पृ. 100
22. तोलकप्पियम पोरूल, 58
23. अग्निपुराण, 241/7
24. मत्स्यपुराण, 215/8–9
25. कौटिल्य, अर्थशास्त्र,1/7/11
26. आर सी मजूमदार, क्लासिकल एकांउन्ट ऑफ इंड़िया, पृ. 268
27. कामंदकनीतिसार, 12/25
28. डॉ. सीमा मिश्र, गुप्तयुगीन केन्द्रीय प्रशासन, 2005, पृ.110
29. कौटिल्य, अर्थशास्त्र,1/6/10–1/7/11,
30. उत्तराध्ययन टीका, 2, पृ. 46
31. कुरल, 587
32. कामंदकनीतिसार, 12/36
33. अग्निपुराण, 220/21

❖◆❖